

दिवाली न्यायालय मुंबई काठी
 हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
 शुभनि पत्र पत्थरगढी 23/01/2023

तारीख हुकम
 23.01.2023
 05.02.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 05.02.2024 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
 श्रीमाधोपुर (श्रीमाधोपुराणा)

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
 उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
 श्रीमाधोपुर (श्रीमाधोपुराणा)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
118/2022	2022/451	16.12.2022	05.02.2024

उनवान प्रकरण

निखिल पुत्र अशोक कुमार आयु 25 वर्ष जाति खाती निवासी 36 गुलमोंहर लेन-दुसरा
सिरसी रोड जयपुर जिला जयपुर राज0।



—प्रार्थी—

बनाम्

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—अप्रार्थी—


उपस्थित :-

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 अभिभाषक वकील प्रार्थी।
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर- अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी
अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कृषि भूमि खसरा


दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

नम्बर 1990/1646 रकबा 1.1250 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.1250 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त दर्ज भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के आदेश क्रमांक/भू.अ./2022/23 दिनांक 04.05.2022 की पालना में पटवार हल्का सांवलपुरा तवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के द्वारा विधिवत रूपेण सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2022 को करवाया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुयी नही है तथा पड़ोसी खातेदारो से किसी प्रकार का वाद-विवाद नही हैं तथा उक्त भूमि का किसी प्रकार का कोई स्थाई चिन्ह आदि नही हैं। इसलिये प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक होने से उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1990/1646 रकबा 1.1250 हैक्टर कुल रकबा 1.1250 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की पत्थरगढ़ी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.06.2022 के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है।




P. Singh
05/06/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। अप्रार्थी की तामील असालातन होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट चाही जाने पर जरिये पत्रांक 1239/भूअ./2023 दिनांक 31.07.2023 को प्राप्त हुई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई।



प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाली भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काशत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1990/1646 रकबा 1.1250 हैक्टर कुल रकबा 1.1250 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तवरान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काशत मौके पर है तथा मौके पर वर्तमान में कोई फसल काशत नहीं की गई है। प्रार्थी वकील ने पटवारी हल्का सांवलपुरा तवरान द्वारा दिनांक 15.06.2022 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।


05/08/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकायाना

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1990/1646 रकबा 1.1250 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 15.06.2022 को करवाया जाना प्रकट होता है। उक्त खसरा नम्बरान में वर्तमान में प्रार्थी निखिल पुत्र अशोक कुमार जाति खाती निवासी 36 गुलमोहर लेन-दूसरा सिरसी रोड जयपुर जिला जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमि का वर्तमान में मौके पर खाली होना प्रकट होता है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आवेदन करने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान के द्वारा दिनांक 15.06.2022 को सीमाज्ञान किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।



—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार

Pahore
05/07/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकायाना

पटवारी


क्रिया जाता है तथा प्रकरण में सीमाज्ञान पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान के द्वारा दिनांक 15.06.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1990/1646 रकबा 1.1250 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम जुगलपुरा पटवार हल्का सांवलपुरा तंवरान तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू. अ. निरीक्षक फीस 900/- रुपये एवं दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 2100/- रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान के द्वारा दिनांक 15.

06.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सीव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी न्यायालय का कोई रथगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।




(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
जिला-नीमकाथाना

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
जिला-नीमकाथाना